बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

ज्ञापांकः–6 / एन–14–17 / 2019–....... दिनांक– / / 2019

श्रीमती कुमारी वीणा, पी0एच0एन0, तत्कालीन निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, छपरा (सारण) द्वारा निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के पद पर अपने पदस्थापन अवधि वर्ष 2017–2018 में शेरशाह मेडिकल रिसर्च एवं ट्रेनिंग संस्थान, तकिया, सासाराम, रोहतास को जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिए भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–2018 के लिए उक्त संस्थान को 20 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त होने के उपरांत तथ्यों को छिपाकर संस्थान से प्राप्त अभ्यावेदन की तिथि को ही अपने स्तर से 60 सीटों पर नामाकंन लेने की सहमति दी गई, जो नियमानुकूल नही था।

2– श्रीमती कुमारी वीणा द्वारा निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों का शैक्षणिक सत्र 2018–2019 के लिए 62 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल, 18 जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान, 08 बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान एवं 02 पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अवधि विस्तार का आदेश बिना सक्षम प्राधिकार के निर्गत किया गया। उक्त कृत्य से विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

3– बिना उच्च पदाधिकारी के अनुमोदन एवं निदेश के अधिकत्तर आदेशों को निर्गत किया गया। साथ ही सरकार द्वारा स्थापित नियमों की अवहेलना उनके द्वारा नियमित रूप से की गई।

4– विभागीय आदेश ज्ञापांक–658(6) दिनांक–27.05.2019 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के पद से पदमुक्त हेतु निर्गत आदेश का अनुपालन न कर श्रीमती कुमारी वीणा अवकाश पर चली गई एवं निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना का प्रभार नहीं दिया गया।

5– विभागीय आदेश ज्ञापांक–730(6) दिनांक–13.06.2019 द्वारा तीन दिनों के अंदर निबंधक का प्रभार देने का निदेश दिया गया, किन्तु उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

6– सरकारी कार्यो के प्रति लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, पद का दुरूपयोग, विभागीय आदेश / निदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए विभागीय ज्ञापांक–894(6) दिनांक–16.07.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया।

7– निदेशक प्रमुख–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के पीत पत्र संख्या–69 / नि0प्र0(रो0नि0)को0 दिनांक–10.06.2019, पीत पत्र सं0–75 / नि0प्र0(रो0नि0)को0 दिनांक–14.06.2019 तथा पीत पत्र सं0–88 / नि0प्र0(रो0नि0)को0 दिनांक–27.06.2019 द्वारा श्रीमती वीणा को सम्पूर्ण प्रभार देने का निदेश दिया गया, किन्तु आदेश का अनुपालन नही किया गया।

8– निदेशक प्रमुख–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के पीत पत्र संख्या–103 / नि0प्र0(रो0नि0)को0 दिनांक–22.07.2019 द्वारा दिनांक–25.07.2019 तक सम्पूर्ण प्रभार निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को देने का निदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। श्रीमती वीणा को मौखिक रूप से भी कई बार सम्पूर्ण प्रभार देने का निदेश दिया गया, किन्तु उनके द्वारा टाल–मटोल किया गया एवं सम्पूर्ण प्रभार अबतक नही दिया गया। इससें सरकारी कार्य प्रभावित हुआ है।

9— श्रीमती कुमारी वीणा के विरूद्ध आरोप अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है एवं उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमवाली, 1976 के नियम—3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

10— उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—9 में निहित प्रावधान के तहत श्रीमती कुमारी वीणा, पी0एच0एन0, तत्कालीन निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, छपरा (सारण) को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

11— निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी वीणा, पी0एच0एन0, तत्कालीन निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, छपरा (सारण) का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

12— निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी वीणा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

13— प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / —
(डॉ0 आर0डी0 रंजन),
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—6 / एन—14—17 / 2019, 959(6) / पटना, दिनांकः— 31/07/19

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सिविल सर्जन, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— श्रीमती कुमारी वीणा, पी0एच0एन0, तत्कालीन निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, ए0एन0एम0 स्कूल, छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 31/7/19

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।